नाबार्ड

संदर्भ सं. रा.बैं.डॉर/ 406/ एलटी नीति-9/ 2023-24
परिपत्र सं. 147/ डॉर - 30/ 2023

30 जून 2023

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी लघु वित्त बैंक

महोदया/ महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - लघु वित्त बैंक	Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for F.Y 2023-24 - Small Finance Banks (SFBs)
वर्ष 2023-24 के लिए लघु वित्त बैंकों हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के परिचालन दिशानिर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं. लघु वित्त बैंकों के पुनर्वित्त आवेदनों का निपटान पुनर्वित्त विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाएगा. 2. ये दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org के 'सूचना केंद्र' में भी उपलब्ध हैं. 3. कृपया पावती दें.	The operational guidelines for LT refinance for the year 2023-2024 for Small Finance Banks (SFBs) is enclosed. The refinance applications of Small Finance Banks (SFBs) shall be dealt with by DoR, NABARD Head Office. 2. These guidelines are also available on NABARD website www.nabard.org under the tab information Centre. 3. Please acknowledge receipt

भवदीय

विवेक सिन्हा

(विवेक कृष्ण सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: 16 पृष्ठ

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित विभाग
प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेलि. : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org
Department Of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

मुख्य प्रलेख/ MAIN DOCUMENT

प्रलेख शीर्षक/ Document Title	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - लघु वित्त बैंक Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for FY2023-24 - SFBs
मसौदा तैयार किया गया (विभाग)/ Drafted By (Dept.)	पुनर्वित्त विभाग Department of Refinance
तिथि/ Date	30 जून 2023 30 June 2023
प्रलेख वर्गीकरण (आंतरिक/बाह्य)/ Document Classification (I/E)	बाह्य External
प्रलेख संख्या/ संस्करण संख्या/ Document No./ Version No.	संस्करण 4.0 (2023-24) Version 4.0 (2023-24)

संस्करण का इतिहास/ Version History

संस्करण संख्या/ Version No.	वित्तीय वर्ष/ FY	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ / Changes/Comments	द्वारा परिवर्तित/ Changed by
1.0	2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति - लघु वित्त बैंक Refinance policy for Schematic lending for FY 2020-21 – SFBs	पुनर्वित्त विभाग Department of Refinance
2.0	2021-22	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति - लघु वित्त बैंक Refinance policy for Schematic lending for FY 2021-22 – SFBs	पुनर्वित्त विभाग Department of Refinance
3.0	2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - लघु वित्त बैंक Operational guidelines for schematic lending under Long Term refinance for FY 2022-23 – SFBs	पुनर्वित्त विभाग Department of Refinance
4.0	2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - लघु वित्त बैंक Operational guidelines for schematic lending under Long Term refinance for FY 2023-24 – SFBs	पुनर्वित्त विभाग Department of Refinance

संस्करण का अनुमोदन/ Version Approval

संस्करण संख्या/ Version No.	अनुमोदन की तिथि/ Date of Approval	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ / Changes/Comments	द्वारा अनुमोदित/ Approved by
1.0	13.04.2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति - लघु वित्त बैंक Refinance policy for Schematic lending for FY 2020-21 – SFBs	अध्यक्ष/ Chairman
2.0	07.04.2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति - लघु वित्त बैंक Refinance policy for Schematic lending for FY 2021-22 – SFBs	अध्यक्ष/ Chairman
3.0	19.04.2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - लघु वित्त बैंक Operational guidelines for schematic lending under Long Term refinance for FY 2022-23 – SFBs	अध्यक्ष/ Chairman
4.0	30.06.2023	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - लघु वित्त बैंक Operational guidelines for schematic lending under Long Term refinance for FY 2023-24 – SFBs	अध्यक्ष/ Chairman

संदर्भ/ References

संस्करण संख्या/ Version No.	अनुमोदन की तिथि/ Date of Approval	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ / Changes/Comments	द्वारा अनुमोदित/ Approved by
1.0	13.04.2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति - लघु वित्त बैंक Refinance policy for Schematic lending for FY 2020-21 – SFBs	अध्यक्ष/ Chairman

2.0	07.04.2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति - लघु वित्त बैंक Refinance policy for Schematic lending for FY 2021-22 – SFBs	अध्यक्ष/ Chairman
3.0	19.04.2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - लघु वित्त बैंक Operational guidelines for schematic lending under Long Term refinance for FY 2022-23 – SFBs	अध्यक्ष/ Chairman
4.0	30.06.2023	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - लघु वित्त बैंक Operational guidelines for schematic lending under Long Term refinance for FY 2023-24 – SFBs	अध्यक्ष/ Chairman

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नाबार्ड

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण - परिचालन दिशानिर्देश
Schematic Lending for FY 2023-24 - Operational Guidelines

1. प्रस्तावना
Introduction

नाबार्ड लघु वित्त बैंकों को कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में पात्र गतिविधियों के लिए ऋण सहायता प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है.
NABARD provides refinance to Small Finance Banks (SFBs) to extend credit support to eligible activities in the agriculture and rural development sector.

2. उद्देश्य
Objectives

दीर्घावधि पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:
The objectives of providing long-term refinance are as under:

क) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में पूँजी निर्माण के लिए सहायता देना.
Supporting capital formation in agriculture and allied activities.

ख) भारत सरकार और नाबार्ड की बल क्षेत्र की गतिविधियों के संवर्धन हेतु ऋण प्रवाह को दिशा देना.
Directing the flow of credit for the promotion of thrust activities of GoI and NABARD.

ग) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना.
Meeting the credit requirement of JLGs and SHGs.

घ) कृषीतर क्षेत्र की गतिविधियों (जैसे एमएसएमई, ग्रामीण आवासन और वाणिज्यिक वाहन) को सहायता देना.
Support for Off-farm sector activities such as MSME, Rural Housing & CV.

ङ) जलवायु अनुकूलन और शमन की परियोजनाओं को सहायता देना.
Support for Climate Adaptation and Mitigation projects

च) भारत सरकार की ऋण से जुड़ी ऐसी पूँजी सब्सिडी योजनाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता जिनकी सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से दी जाती है.
Support for credit linked capital subsidy schemes of GoI, whose subsidy is channelized through NABARD.

3. सहायता का स्वरूप
Nature of Accommodation

बैंकों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु संवितरण के समक्ष पुनर्वित्त सहायता निम्नलिखित दो प्रकार से प्रदान की जाती है:

Refinance assistance is provided against disbursements, for various purposes under the following two windows:

3.1 पूर्व-मंजूरी
Pre-Sanction

पूर्व मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत लघु वित्त बैंक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को नाबार्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करके पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं. नाबार्ड इन परियोजनाओं की तकनीकी साध्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और बैंक योग्यता का निर्धारण करने हेतु यथोचित मूल्यांकन के बाद पुनर्वित्त मंजूर करेगा.
Small Finance Banks (SFBs) can avail refinance under the pre-sanction procedure by submitting Detailed Project Reports for the approval of NABARD. NABARD shall sanction the refinance after due appraisal to determine the projects technical feasibility, financial viability and bankability.

3.2 स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़)
Automatic Refinance Facility (ARF)

स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ) एजेंसियों द्वारा पूर्व-मंजूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना अपने स्तर पर प्रस्तावों का मूल्यांकन के पश्चात् उधारकर्ता का वित्तपोषण करके नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. वे आहरण आवेदन के आधार पर नाबार्ड से पुनर्वित्त का दावा कर सकते हैं, जिसमें ऋण संवितरण के बाद विभिन्न उद्देश्यों को इंगित करते हुए पुनर्वित्त का दावा किया गया हो. ऐसे मामलों में नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की मंजूरी और संवितरण एक साथ किया जाता है. कृषि क्षेत्र (एफएस) और कृषीतर क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की पात्र परियोजनाओं के लिए कुल वित्तीय परिव्यय, बैंक ऋण अथवा पुनर्वित्त की प्रमात्रा की किसी उच्चतम सीमा के बिना स्वचालित पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है.
Automatic Refinance Facility (ARF) enables the agencies to obtain financial accommodation from NABARD, without going through the pre-sanction process by appraising the proposals on their own and financing the borrower. They may claim refinance from NABARD based on a drawal application, indicating the various purposes for which refinance is being claimed after the loan is disbursed. In such cases, the sanction and disbursement of refinance are attended to simultaneously by NABARD. Automatic Refinance Facility is extended without any upper ceiling of Total Financial Outlay, Bank Loan or Quantum of Refinance, for all eligible projects under Farm Sector (FS) and Off-Farm Sector.

4. पात्रता मानदंड
Eligibility criteria

4.1 नाबार्ड से पुनर्वित्त के आहरण के लिए पात्रता मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं :
Eligibility criteria for drawal of refinance from NABARD are reviewed from time to time. The eligibility criteria prescribed for the year 2023-24 are as under:

क. न्यूनतम 15% सीआरएआर मानदंड का पालन (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार).
Complying with minimum CRAR norm of 15% (as per RBI).

ख. निवल अनर्जक आस्तियाँ बकाया निवल ऋणों और अग्रिमों के 5% से अधिक न हों. इसके अलावा अनर्जक आस्तियों की स्थिति हेतु पूरे बैंक की स्थिति पर समग्रता से विचार किया जाएगा.
Net NPAs not exceeding 5% of net loans and advances outstanding. The NPA position will be reckoned for the Bank as a whole.

ग. बैंक निवल लाभ में होना चाहिए.
The bank should be in net profit.

4.2 01.04.2023 से 30.06.2023 के दौरान पात्रता मानदंड और जोखिम आकलन 31.03.2022 अथवा 31.03.2023 (यदि 31.03.2023 की लेखापरीक्षित स्थिति उपलब्ध है) की स्थिति में बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाएगा. 01.07.2023 से 31.03.2024 के लिए यह आकलन 31.03.2023 की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाएगा. 01.07.2023 या उससे बाद मंजूरी और आहरण की अनुमति उन्हीं क्षेग्रा बैंकों को दी जाएगी जिन्होंने अपनी लेखापरीक्षा पूर्ण कर ली है.
Eligibility criteria and Risk Assessment during 01.04.2023 to 30.06.2023 will be based on their audited financial position as on 31.03.2022 or 31.03.2023 (if audited position as on 31.03.2023 is available). From 01.07.2023 to 31.03.2024, the same will be based on their audited financial position as on 31.03.2023. Sanction and drawals on or after 01.07.2023 will be permitted only to such banks, which have completed the audit.

4.2 31.03.2023 के बाद वित्तीय मापदंडों में कोई भी बदलाव चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यथोचित प्रमाणीकरण के बाद वित्तीय स्थिति के आधार पर पात्रता हेतु मान्य होगा.
Any change in the financial parameters after 31.03.2023 will be considered towards eligibility based on the financials after due certification by a Chartered Accountant.

4.3 ये पात्रता मानदंड सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सहित कृषि और कृषीतर - दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत पुनर्वित्त के आहरण पर लागू होंगे.
The eligibility norms will be applicable for drawal of refinance under both Farm and Off-Farm Sectors including Government Sponsored Schemes.

5. पात्र गतिविधियाँ
Eligible activities

5.1 पात्र गतिविधियों की सूची अनुबंध में दी गई है. यह सूची केवल निदर्शी है, सम्पूर्ण नहीं.
List of eligible activities are furnished in Annexure. The list is only illustrative and not exhaustive.

5.2 उक्त सूची में जिन गतिविधियों का उल्लेख नहीं किया गया है और यदि वे कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन को सुगम बनाती हैं तो वे पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं. आहरण आवेदन की तिथि की स्थिति में, लघु वित्त बैंक की बहियों में बकाया वे ऋण पुनर्वित्त के पात्र हैं जिनकी शेष बची परिपक्वता अवधि 18 माह से अधिक है.
Activities not mentioned above but which facilitate the promotion of agriculture and rural development are eligible for refinance assistance. Eligible loans outstanding in the books of the SFB with residual maturity period of more than 18 months as on the date of drawal application are eligible for refinance.

5.3 नाबार्ड को अंतर्निहित आस्ति समूह प्रस्तुत करने से पहले पात्रता, खातों के दोहराव से बचने, अंतिम उपयोगकर्ता के केवाईसी, शेष बची हुई परिपक्वता अवधि, संवितरण की तारीख और ऋण की चुकौती आदि के संबंध में अंतर्निहित आस्ति समूह की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए.
Due diligence of the underlying asset pool as regards to eligibility, avoiding duplication of accounts, KYC of the end user, residual maturity, date of disbursement and repayment of the loan, etc. may be undertaken before submission of the pool to NABARD.

6. पुनर्वित्त की सीमा
Extent of refinance

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा), पर्वतीय क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ तथा नाबार्ड द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त की सीमा सभी प्रयोजनों हेतु पात्र बैंक ऋण का 95% होगी. अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त सहायता की सीमा निम्नानुसार होगी:
The extent of refinance for the States in North Eastern Region (Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura) including Sikkim, Hilly Region (Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand), Eastern Region (West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand and Andaman & Nicobar Islands), Lakshadweep, Chhattisgarh and any other areas notified by NABARD will be 95% of eligible bank loans for all purposes. For Other Regions the extent of refinance shall be :

क) अनुबंध में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी बल क्षेत्रों के लिए 95%;

95 % for all thrust areas as indicated in the Annexure;

ख) कृषक साथी योजना और निवेश ऋण हेतु अन्य सभी अनुमोदित प्रयोजनों के लिए 90%.
90% for all other approved purposes for investment credit and Krishak Sathi Yojana.

7. ब्याज दर
Interest rate

7.1 पुनर्वित्त पर ब्याज
Interest on refinance:

नाबार्ड पुनर्वित्त की अवधि, वर्तमान बाजार दर, जोखिम अवधारणा आदि के आधार पर पुनर्वित्त की ब्याज दर का निर्धारण करेगा और यह समय-समय पर संशोधन के अधीन होगी. नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए जोखिम आकलन मॉड्यूल के आधार पर सभी लघु वित्त बैंकों को 9 जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तदनुसार पुनर्वित्त पर ब्याज दर के अतिरिक्त निर्दिष्ट जोखिम प्रीमियम प्रभारित किया जाएगा.
The interest rates on refinance will be decided by NABARD based on tenor, prevailing market rate, risk perception etc. and is subject to revision from time to time. All Small Finance Banks have been classified into 9 risk categories as per the risk assessment module devised by NABARD. A prescribed credit risk premium will accordingly be charged over and above the rate of interest on refinance.

9.2 दंडात्मक ब्याज
Penal Charges:

चूक की स्थिति में, चूक की अवधि के लिए चूक की राशि पर 2.00% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा.
In the event of default, penal charges of 2.00% p.a, will be charged on the defaulted amount for the period of default.

9.3 अवधि-पूर्व भुगतान के लिए सुविधा प्रभार
Pre-payment facilitation charges:

अवधि-पूर्व चुकौती की स्थिति में सुविधा प्रभार 2.50% प्रति वर्ष होगा. यह प्रभार अवधि-पूर्व चुकौती की तिथि से चुकौती की वास्तविक देय तिथि तक की पूर्ण अवधि हेतु प्रत्येक देय किस्त के लिए अलग-अलग प्रभारित किया जाएगा. न्यूनतम अवधि 6 माह होगी. न्यूनतम 3 कार्य दिवसों का नोटिस देने के बाद ही अवधि-पूर्व चुकौती शुरू किया जा सकता है. डिमांड नोटिस जारी होने के बाद किए गए चुकौती के लिए अवधि-पूर्व चुकौती सुविधा शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

The rate of pre-payment facilitation charges will be 2.50% p.a. and will be chargeable for each instalment due separately for the entire period from the date of pre-payment to the date on which the instalment is actually due for payment with a minimum period of 06 months. The prepayment can only be initiated after giving a minimum notice of 3 working days. Prepayment facilitation charges will not be levied for payments made after issuance of demand notice.

10. चुकौती अवधि
Repayment Period

पुनर्वित्त के लिए चुकौती की अवधि 18 महीने (न्यूनतम) से लेकर 5 वर्ष या उससे अधिक तक होगी. पुनर्वित्त के मूल धन की चुकौती की आवधिकता तिमाही होगी. महीने की किसी भी तिथि को मंजूर पुनर्वित्त के लिए मूलधन की राशि की चुकौती की पहली देय तिथि संवितरण की तिथि से छह माह पूरे होने के बाद माह के अंतिम दिन की तिथि होगी. उसके बाद तिमाही आधार पर चुकौती की जाएगी. ब्याज के भुगतान की देय तिथियाँ मासिक अथवा तिमाही आधार पर होंगी. **बैंक के अनुरोध और मंजूरी शर्तों के अनुसार चुकौतियों की परिवर्तनीय अनुसूचियाँ अनुमेय हैं.** अनुमोदित चुकौती अनुसूची मंजूरी पत्र (पत्रों) में निर्दिष्ट की जाएगी.
The tenor of the loan would be for periods of above 18 months (minimum) to 5 years, or above. The periodicity for repayment of principal amount of refinance will be quarterly. The first due date of the principal amount for refinance sanctioned on any date in a month will be last day after completion of six months from the date of disbursement and subsequent repayments will be on quarterly basis. The due dates of payment of interest will be either on a monthly or quarterly basis. **Flexible repayment schedules are permitted as per the request of bank and as per sanction terms.** The approved repayment schedule will be specified in the letter(s) of sanction.

11. प्रतिभूति
Security

पुनर्वित्त के माध्यम से दिए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रतिभूति नाबार्ड द्वारा सामान्य पुनर्वित्त करार (जीआरए)/ मंजूरी पत्र में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगी. साथ ही, बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके पास उसका चालू खाता होता है, से नाबार्ड के पक्ष में एक विधिवत् अधिदेश प्राप्त करना होगा.
The security for loans and advances by way of refinance shall be such as may be specified by NABARD in the General Refinance Agreement (GRA)/ Letter(s) of sanction. Besides, a Mandate in favour of NABARD will have to be duly obtained by the bank from RBI, where its current account is maintained.

बोर्ड संकल्प या बोर्ड की उप-समिति का संकल्प जिसमें लघु वित्त बैंक की उधार लेने की शक्तियाँ, नाबार्ड से उधार लेने का प्राधिकार, नमूना हस्ताक्षर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और एक

प्रमाण पत्र नाबार्ड को प्रस्तुत किया जाना है जो यह पुष्टि करता है कि नाबार्ड से प्राप्त मौजूदा उधार एजेंसी की समग्र उधार सीमा के भीतर है.

Board resolution or the resolution of the sub-committee of the Board indicating the borrowing powers of the SFB, authority to borrow from NABARD, authorised signatory list with specimen signatures and a certificate confirming that the current borrowing from NABARD is within the overall borrowing limit of the agency has to be submitted to NABARD.

10. परियोजनाओं का पूर्व-लेखापरीक्षण, अनुप्रवर्तन तथा पर्यवेक्षण
Pre Audit, Monitoring and supervision of projects

नाबार्ड के पास लेखा बहियों और अन्य संबंधित सामग्री की विशेष लेखा परीक्षा स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से (उधार लेने वाली संस्था की लागत पर) करवाने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक की बहियों और अन्य संबंधित सामग्री का रख-रखाव प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया है और बैंक द्वारा पुनर्वित्त के नियम और शर्तों का पालन किया जाता है.

NABARD will have the right to cause special audit of the books of accounts and other relevant material either by itself or through other agencies (at borrowing entity's cost) to ensure that same are maintained as per the rules and regulations in force and the terms and conditions of refinance are adhered to by the bank.

पुनर्वित्त के निबंधनों व शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड को स्थल पर सत्यापन/ जाँच का अधिकार होगा.

NABARD would have the right to conduct spot verification / checks to ensure that the terms and conditions of refinance are adhered to.

11. अन्य सभी मौजूदा निबंधन व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.
All other existing terms and conditions will remain unchanged.

अनुबंध
Annexure

विविध ऋण उत्पादों के तहत शामिल गतिविधियों की सूची
LIST OF ACTIVITIES COVERED UNDER VARIOUS LOAN PRODUCTS

क. दीर्घावधि पुनर्वित्त
Long Term Refinance

1.1 बल क्षेत्र
Thrust Areas

पुनर्वित्त को जारी करने में जिन बल क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी, उनमे शामिल हैं:
Thrust areas for which preference will be given for release of refinance include:

भूमि विकास, लघु और सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण और जल संरक्षण के संसाधन, मत्स्यपालन, पशुपालन, स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह/ रायतु मित्र समूह (आरएमजी), किसान उत्पादक संगठन, कृषि क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र, ग्रामीण आवासन, कृषि प्रसंस्करण, बंजर भूमि विकास, शुष्क भूमि कृषि, ठेका खेती, क्षेत्र विकास योजनाएँ, बागान और बागबानी, कृषि-वानिकी, बीज उत्पादन, ऊतक संवर्धन प्लांट उत्पादन, कृषि-विपणन आधारभूत संरचना (कोल्ड स्टोरेज़, गोदाम, बाजार केंद्र आदि सहित) कृषि औज़ार, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके वाटरशेड और आदिवासी विकास कार्यक्रमों के इलाकों में वित्तपोषण.
Land development, minor & micro irrigation, water saving and water conservation devices, fisheries, animal husbandry, SHGs / JLGs/ Rythu Mithra Groups (RMGs), FPOs, agri-clinics and agri-business centres, rural housing, agro-processing, wasteland development, dryland farming, contract farming, area development schemes, plantation & horticulture, agro-forestry, seed production, tissue culture plant production, agri-marketing infrastructure (including cold storage, godowns, market yards etc.), agriculture implements, non-conventional energy sources, financing in areas of watershed & tribal development programmes already implemented.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नाबार्ड

1.2 स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के तहत शामिल गतिविधियाँ
Activities covered under Automatic Refinance Facility

1.2.1 कृषि क्षेत्र
Farm Sector

(i) भूमि विकास
Land development

(ii) लघु और सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई
Minor & micro irrigation, drip irrigation

(iii) जल बचाव और जल संरक्षण उपकरण
Water saving and water conservation devices

(iv) डेयरी
Dairy

(v) मुर्गी पालन
Poultry

(vi) मधुमक्खी पालन
Beekeeping

(vii) रेशम उत्पादन
Sericulture

(viii) मत्स्यपालन
Fisheries

(ix) पशुपालन
Animal husbandry

(x) स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों/ रायतु मित्र समूहों को दिए गए ऋण
Loans to Self Help Groups / Joint Liability Groups / Rythu Mitra Groups

(xi) शुष्क भूमि कृषि
Dryland farming

(xii) ठेका खेती
Contract farming

(xiii) बागान और बागवानी
Plantation & horticulture

(xiv) कृषि वानिकी
Agro-forestry

(xv) बीज उत्पादन
Seed production

(xvi) टिश्यू कल्चर प्लांट प्रोडक्शन
Tissue culture plant production

(xvii) कृषि और संबद्ध गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े कॉर्पोरेट किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों, किसानों की एकल कंपनियों, साझेदारी फ़र्मों और किसानों की सहकारी संस्थाओं और कृषक सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता ₹2 करोड़ की सीमा तक के ऋण
Loans to corporate farmers, farmers' producer organizations/ companies of individual farmers, partnership firms and co-operatives of farmers directly engaged in Agriculture and Allied Activities, up to an aggregate limit of ₹2 crore per borrower

(xviii) कृषि उपकरण
Agriculture implements

(xix) नियंत्रित परिस्थितियों अर्थात् पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस में उच्च मूल्य /विदेशी प्रजातियों की सब्जियों कट फ्लावर्स का उत्पादन
Production of high value / exotic vegetables, cut flowers under controlled conditions i.e. poly house / green house,

(xx) सब्जियों और फलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशरूम, टिश्यू कल्चर लैब, प्रिसीज़न फ़ार्मिंग जैसे हाई टेक-निर्यातोन्मुख उत्पादन इकाईयों की स्थापना.
Establishment of hi-tech export oriented production like mushroom, tissue culture labs, precision farming for enhancement of productivity in vegetables and fruits.

1.2.2 अन्य गतिविधियाँ
Other Activities

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
MSME for both manufacturing and service, that creates employment in rural areas

(ii) कृषि क्लिनिक्स व कृषि व्यवसाय केन्द्र
Agri-clinics and Agri-business centres

(iii) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्ट-अप्स जो एमएसएमई, कृषि और संबद्ध सेवाओं में कार्यरत हैं.
Start-ups, as per definition of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India that are engaged in MSME, agriculture and allied services

(iv) ग्रामीण आवास
Rural housing

(v) वाणिज्यिक वाहन
Commercial Vehicles

(vi) कृषि प्रसंस्करण
Agro-processing

(vii) मृदा संरक्षण और वाटरशेड विकास
Soil conservation and watershed development.

(viii) कृषि विपणन आधारभूत संरचना (शीत भंडारण, गोदाम, बाजार केंद्र, सिलोस आदि सहित) चाहे जहाँ भी स्थित हो
Agri-marketing infrastructure (including cold storage, warehouse, godowns, market yards, silos etc.) irrespective of their location

(ix) गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोत
Non-conventional energy sources

(x) पहले से ही कार्यान्वित किए गए वाटर शेड और जनजाति विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में वित्तपोषण
Financing in areas of watershed & tribal development programmes already implemented.

(xi) प्लांट टिशू कल्चर और कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बीज उत्पादन, जैव कीटनाशक, जैव उर्वरक का उत्पादन और वर्मी कम्पोस्टिंग.
Plant tissue culture and agri-biotechnology, seed production, production of bio-pesticides, bio-fertilizer, and vermi composting.

(xii) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और बड़े आकार की आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों (एलएएमपीएस) का कृषि क्षेत्र में आगे ऋण देने के लिए बैंक ऋण
Bank loans to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Farmers' Service Societies (FSS) and Large-sized Adivasi Multipurpose Societies (LAMPS) for on-lending to agriculture.

(xiii) कृषि क्षेत्र में आगे ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं - सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को मंजूर ऋण
Loans sanctioned by banks to NBFC-MFIs for on-lending to agriculture sector

(xiv) केवीआई (खादी ग्रामोद्योग)
KVI (Khadi Village Industries)

(xv) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्यालय, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता की सुविधाएँ और अन्य सामाजिक आधारभूत सुविधाएँ
Rural Schools, health care facility, drinking water facility, sanitation facility and other Social infrastructure in rural areas

(xvi) नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर आधारित ऊर्जा जेनेरेटर, बायोमास आधारित ऊर्जा जेनेरेटर, पवन चक्कियाँ, सूक्ष्म हाईडेल परियोजनाएँ और गैरपारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक जन सुविधाएँ जैसे सड़क प्रकाश व्यवस्था और दूर दराज के गांवों का विद्युतीकरण
Renewable energy like solar based power generators, biomass based power generators, wind mills, micro-hydel plants and for non-

conventional energy based public utilities viz. street lighting systems, and remote village electrification

(xvii) ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के लिए एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना; बंजर / परती भूमि पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर स्टिल्ट फैशन में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

Installation of stand-alone Solar Agriculture Pumps and for solarisation of grid connected Agriculture Pumps; installation of solar power plants on barren/fallow land or in stilt fashion on agriculture land owned by farmer.

(xviii) जैव ईंधन के उत्पादन के लिए तेल निष्कर्षण/प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, उनके भंडारण और वितरण के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उद्यमियों को कोंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण

Construction of oil extraction/ processing units for production of bio-fuels, their storage and distribution infrastructure along with loans to entrepreneurs for setting up Compressed Bio Gas (CBG) plants

(xix) व्यक्तियों, संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंधित कस्टम हायरिंग इकाइयाँ जो ट्रैक्टर, बुलडोजर, कुएँ की बोरिंग के उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन आदि रखती हैं और अनुबंध के आधार पर किसानों के लिए कृषि कार्य करती हैं

Custom hiring Units managed by individuals, institutions or organizations who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well-boring equipment, threshers, combines, etc., and undertake farm work for farmers on contract basis

(xx) कृषक साथी योजना

Krishak Sathi Yojana

(xxi) क्षेत्र विकास योजनाएँ

Area development schemes

(xxii) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के उत्पादन के विपणन और निविष्टियों की आपूर्ति में विकेंद्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने वाली संस्थाओं को ऋण

Loans to entities involved in assisting the decentralized sector in the supply of inputs and marketing of output of artisans, village and cottage industries

(xxiii) पूर्व-निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने वाले एफपीओ/एफपीसी को प्रति उधारकर्ता इकाई ₹5 करोड़ तक का ऋण

Loans up to ₹5 crore per borrowing entity to FPOs/FPCs undertaking farming with assured marketing of their produce at a pre-determined price

(xxiv) बैंकिंग प्रणाली से कृषि आधारभूत संरचना हेतु ऋण जो प्रति उधारकर्ता मंजूर की गई ₹100 करोड़ की कुल सीमा के अधीन हैं

Loans for agriculture infrastructure subject to an aggregate sanctioned limit of ₹100 crore per borrower from the banking system

(xxv) सदस्यों की उपज की खरीद के लिए किसानों की सहकारी समितियों को ₹5 करोड़ तक का ऋण

Loans up to ₹5 crore to co-operative societies of farmers for purchase of the produce of members

(xxvi) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार, कृषि और संबद्ध सेवाओं में लगे स्टार्ट-अप को ₹50 करोड़ तक का ऋण

Loans up to ₹50 crore to Start-ups, as per definition of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India that are engaged in agriculture and allied services

(xxvii) बैंकिंग प्रणाली से खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण हेतु ऋण जो प्रति उधारकर्ता मंजूर की गई ₹100 करोड़ की कुल सीमा के अधीन हैं

Loans for Food and Agro-processing up to an aggregate sanctioned limit of ₹100 crore per borrower from the banking system

(xxviii) प्राथमिकता क्षेत्र मास्टर दिशानिर्देशों के अनुबंध III के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत अनुमेय गतिविधियाँ

Permissible Activities under Food Processing Sector as per Annexure III of Priority Sector Master Directions.

कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन में सहायता प्रदान करने वाली अन्य कोई गतिविधि जिसका उल्लेख ऊपर न किया हो ,को भी शामिल किया जा सकता है.

Any other activities not mentioned above may also be covered if it facilitates the promotion of agriculture and rural development.